

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी, धोरीमना
(जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)
राजस्व आवेदन संख्या : 108/2023

- प्रार्थीगण
1. ईसराराम पुत्र हनुमानराम
 2. चेतनराम पुत्र अनाराम
 3. बागाराम पुत्र शेराराम
 4. बाबूदेवी पत्नी अनाराम
 5. हथूदेवी पत्नी हनुमानराम
 6. हेमाराम पुत्र हनुमानराम
- जाति जाट निवासी सरदारपुरा
(दूधू) तहसील धोरीमन्ना

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गोरखाराम पुत्र बांकाराम
 2. दुर्गाराम पुत्र बांकाराम
 3. खेताराम पुत्र बांकाराम
 4. फताराम पुत्र बांकाराम
 5. पेमाराम पुत्र बांकाराम
 6. रम्मा पत्नी बांकाराम जाति जाट
 7. लाधाराम पुत्र केहराराम
 8. खेताराम पुत्र मालाराम जाति मेगवाल
 9. मघा पुत्र रावताराम
 10. चैना पुत्र रामदानराम
 11. तिलोकाराम पुत्र रामदानराम
 12. मूली पत्नी रामदानराम
- जाति जाट निवासी सरदारपुरा (दूधू)
तहसील धोरीमन्ना
13. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू, राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु : 11.10.2023

अधिवक्ता :- श्री बलवन्तसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण

-: : निर्णय :-

दिनांक : 21-2-24

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बलवन्तसिंह चौधरी द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 376/265 रकबा 1.9426 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा सरदारपुरा पटवार मण्डल दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जाकाशत लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढ़ा-सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य काशत एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी खेतों के सेढ़ों के लेकर आपस में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काशत के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन काशत कर लेते है तथा काशत के समय लड़ाई

प्रकार होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग नहीं कर पा रहे है, इसलिए प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के



उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 03.10.2023 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नहीं मान रहे हैं, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार है। विवादित खेत मौजा सरदारपुरा पटवार मण्डल दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/- के साथ पेश है। अतः श्रीमान् जी के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का खातेदारी के खेत ग्राम सरदारपुरा पटवार मण्डल दूधू तहसील धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 376/265 रकबा 1.9426 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्की नेखबन्दी/पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरमाने की कृपा करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 12 को जरिये रजिस्ट्रैड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाए गये नोटिसों मय डाक रसीदें प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 06.02.2024 को विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि मौजा सरदारपुरा पटवार मण्डल दूधू तहसील धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 376/265 रकबा 1.9426 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 03.10.2023 को पटवारी हल्का द्वारा मौजा सरदारपुरा खसरा संख्या 376/265 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ोसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माटें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते हैं। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी



उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

खसरा नम्बर 376/265 रकबा 1.9426 हैक्टियर किस्म बा.सोयम, की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

— :: आदेश :: —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम सरदारपुरा पटवार मण्डल दूधू तहसील धोरीमन्ना के खाता संख्या 46 के खसरा संख्या खसरा नम्बर 376/265 रकबा 1.9426 हैक्टियर किस्म बा.सोयम का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर, सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे-खर्चे से उसके खसरा नम्बर 376/265 रकबा 1.9426 हैक्टियर किस्म बा.सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफतर हो।



(धीरेन्द्रसिंह RAS) श्री
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 21-2-24 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्रसिंह RAS) श्री
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर